प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**
2. **सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**
3. **सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**
4. **सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**
5. **सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**
6. **जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।**
7. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
8. **नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।**
9. **अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, हरिद्वार।**

सख्या: 1820 **/प्रशा0–2(क)–22/252/2023–24** **दिनांक:** 27/06 **/2025**
विषय: **हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया कार्यालय पत्रांक 1482/प्रशा0–2(क)–22/252/2025–26 दिनांक 04.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल/अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2025 को प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुयी है। उक्त बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष कुमार सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, शिविर कार्यालय, देहरादून को कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री बृजेश कुमार उपाध्याय, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निर्देश के साथ कृपया इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

सचिव

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 84वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–06–2025 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–06–2025 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष,एच.आर.डी.ए.	अध्यक्ष
2. श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, हरिद्वार ।	पदेन सदस्य
3. श्री अंशुल सिंह, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0	उपाध्यक्ष
4. श्री नन्दन कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य
5. श्री अतर सिंह,अपर सचिव, (सचिव, आवास विभाग के प्रतिनिधि.)	पदेन सदस्य
6. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	पदेन सदस्य
7. श्री लखेन्द्र गौंथियाल,वित्त नियंत्रक, (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
8. श्री चन्द्रशेखर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, सिंचाईविभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
9. श्री एम0मुस्तफा, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, पेयजल विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
10.श्री सुशील नौटियाल,जिला पर्यटन अधिकारी हरिद्वार (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
11.श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

मद संख्या–84 (01):– प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05–11–2024 के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या–84 (02) प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05–11–2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय	अनुपालन
01	80(02)	**70(10)**मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कड़च्छ से लगाकर गुरूद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्य की प्रगति रिपोर्ट कार्यदायी संस्था द्वारा मय फोटोग्राफ / बीडियों /ड्रोन सर्वे सहित साप्ताहिक रूप से उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने व तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में अन्तिमीकरण रिपोर्ट रखे जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
02	81(2) / 72(05)	72(05) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्मित भवनों में इंगित कमियों का निराकरण शीघ्र करने तथा समय से इंगित कमियों को दूर नही करने पर प्राधिकरण द्वारा स्वयं उन कमियों को दूर करते हुए व्यय धनराशि की कटौती कार्यदायी संस्था से करते हुए अन्तिमीकरण रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये है।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
03	81(2)/ 72(10)	**72(10)** प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों /भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क सम्बन्धी।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को बोर्ड के निर्णयानुसार हरिलोक कालोनी का हस्तान्तरण 07 दिन के भीतर किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
04	81(2) 74(12)	**74(12)** प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से उपरोक्त भूमि क्रय प्रस्ताव को स्थगित रखने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।

Secretary Vice Chirman Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय	अनुपालन
05	81(2) 75(09)	75(09) अमृत महायोजना–2041 के प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी।	सी0टी0सी0पी0 द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार एवं रूड़की महायोजना–2041 का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा महायोजना–2041 का अवलोकन बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया जिस पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से महायोजना को सभी तहसील कार्यालयों व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जन–सामान्य के अवलोकनार्थ तकनीकी स्टाफ के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश सी0टी0सी0पी0 को दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालन से सहमति व्यक्त की गई ।
06	**81(2) 77(14)**		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।	
07	**81(2) 77(16**		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।	
08	**81(2) 78(03)**	**78(03)** शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू–विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से उक्त सर्वेक्षण कार्य की विस्तृत प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय	अनुपालन
09	81(2) 80(21)	**आवासीय भू-उपयोग** के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
10	81(2) 80(22)	सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक एवं **कृषि भू-उपयोग** के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/वेयर हाउस/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही से आगामी बोर्ड में अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई ।
11	81(2) 80(23)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
12	81(6)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली परियोजनाओं को विक्रय किये जाने हेतु मार्केटिंग कंसलटेन्सी/एजेन्सी को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुबन्धित फर्म की प्रगति रिपोर्ट से आगामी बोर्ड में अवगत कराये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई ।
13	81(14)	तहसील-हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम-जमालपुर, स्थित-फुटबाल ग्राउण्ड को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से जिलाधिकारी कार्यालय से प्रकरण में स्पष्ट तथ्यों /सुस्पष्ट आख्या प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
14	81(15)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
15	81(16)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
16	81(17)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
17	81(18)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
18	81(20)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	

Secretary   Vice Chirman   Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/ मद	विषय	बोर्ड का निर्णय	अनुपालन
19	81(22)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
20	81(23)	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत प्लाजा हेतु भूमि चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
21	81(24)	प्राधिकरण हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु चयन समिति गठित करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई ।
22	83(03)	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को सम्बन्धित निकायों को हस्तान्तरण प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर निकायों को 07 दिन के भीतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई ।
23	83(04)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
24	83(05)	भूपतवाला फ्लाईओवर के नीचे विकसित की जा रही पार्किंग तथा स्पोर्टस जोन की टेण्डर का प्रस्ताव ।	बोर्ड द्वारा एन0एच0 उद्यानीकरण हेतु को 10 प्रतिशत, नगर निगम हरिद्वार को अतिक्रमण /स्वच्छता हेतु 30 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत धनराशि रख–रखाव व विकास कार्य हेतु प्राधिकरण को दिये जाने के निर्देश दिये गये ।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
25	83(06)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
26	83(07)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
27	83(08)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
28	83(09)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
29	83(10)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
30	83(11)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/ मद	विषय	बोर्ड का निर्णय	अनुपालन
31	83(12)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
32	83(13)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
33	83(14)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
34	83(15)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
35	83(16)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
36	83(17)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
37	83(18)	श्री मुकेश शर्मा, श्री आदेश शर्मा, श्री राजेश शर्मा व श्री आमेश शर्मा पुत्रगण श्री सोमदत्त शर्मा के ऑनलाईन मानचित्र संख्या–HRDA/NC/0202/24-25 सम्बन्धीं ।	बोर्ड द्वारा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई ।
38	83(19)	आवेदक माधव समर्पण समिति विश्व हिंदू परिषद उत्तराखण्ड द्वारा धर्मशाला प्रयोजन की स्वीकृति सम्बन्धी ।	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर उडा के पत्रानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति दी गई।
39	83(20)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
40	83(21)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय भाग–2 में निर्मित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा धनराशि समय से नहीं जमा करायी गयी है पर देय ब्याज की छूट सम्बन्धी।	बोर्ड द्वारा एक आवंटी को 31 अगस्त 2025 तक अन्तिम बार ब्याज में छूट दिये जाने के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।	
41	83(22)	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त		

Secretary　　　　Vice Chirman　　　　Chairman / Commissioner

मद संख्या– 84(03) :–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के स्वीकृत बजट 2024–25 की उपलब्धि तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव–

Budget at a Glance- 2025-26

(Rupees In Lakh)

			Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate
			2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26
						31.03.2024		31.03.2025	
	गत शेष						6528.64	6528.64	4698.85
अ	राजस्व आय	**REVENUE INCOME**							
क									
1	मानचित्र शुल्क	MAP FEES	50.00	81.00	98.00	61.86	90.00	96.68	100.00
2	उपविभाजन शुल्क (50 प्रतिशत)	SUBDIVISION FEES	575.00	449.07	700.00	802.74	1000.00	622.88	1100.00
3	शमन शुल्क (25 प्रतिशत)	COMPOUND FEES	450.00	357.48	550.00	453.80	750.00	661.04	800.00
4	पर्यवेक्षण शुल्क	SUPERVISION FEES	50.00	46.00	75.00	56.07	75.00	66.79	85.00
5	अन्य आय (टेण्डर, सील, विविध)	TENDER/MISC	40.00	39.56	60.00	55.00	60.00	54.92	66.00
6	विकास शुल्क (10 प्रतिशत)	DEVLOPMENT	100.00	98.24	125.00	132.43	175.00	131.97	190.00
7	भू उपयोग परिवर्तन शुल्क (10 प्रतिशत)	LAND CONVERSION	80.00	30.05	80.00	78.66	100.00	91.39	120.00
8	अम्बार शुल्क (5 प्रतिशत)	AMBAAR FEES	40.00	44.21	56.25	59.59	78.75	59.38	85.50
9	फ्री होल्ड शुल्क (10 प्रतिशत)	FREE HOLD FEES	10.00	0.88	10.00	1.20	15.00	6.11	10.00
10	हरिलोक अनुरक्षण शुल्क	HARILOK MAINTAINANCE	6.00	7.62	10.00	7.99	10.00	10.53	12.00
11	इन्द्रलोक–1 अनुरक्षण शुल्क	INDERLOK-1 MAINTAINANCE	60.00	28.99	50.00	29.45	75.00	40.24	60.00
12	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण शुल्क	TRANSPORT NAGAR MAITAINANCE	20.00	9.61	20.00	1.94	75.00	7.17	15.00
13	हरितिमा शुल्क/पौधारोपण (10 प्रतिशत)	HARITIMA	85.00	88.42	112.50	119.18	157.50	118.77	171.00
14	पंजीकरण पुस्तिका	REGISTRATION BOOK	4.00	1.15	4.00	1.02	5.00	1.46	2.00
15	लेबर सैस	LABOUR CESS	600.00	906.42	1050.00	1102.18	1150.00	704.52	100.00
16	रोड़ी बेल वाला पार्किंग/भूपतवाला पार्किंग	RODIBEL WALA PARKING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	269.00
17	सिटी स्पोर्टस स्टेडियम	CITI SPORTS STADIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	41.00
	योगः– (क)	**TOTAL:- (A)**	**2170.00**	**2188.70**	**3000.75**	**2963.11**	**3816.25**	**2689.78**	**3226.50**
ख									
1	विनियोगों एवं खातों से प्राप्त व्याज	Funds received from appropriations and accounts	**400.00**	**315.86**	**350.00**	**274.39**	**320.00**	**624.00**	**350.00**
	योगः– (ख)	**TOTAL:- (B)**	**400.00**	**315.86**	**350.00**	**274.39**	**320.00**	**624.00**	**350.00**
	कुल राजस्व आय (क+ख)	TOTAL REVENUE INCOME (A+B)	**2570.00**	**2504.56**	**3350.75**	**3237.50**	**4136.25**	**3313.78**	**3576.50**

Secretary **Vice Chairman** **Chairman/Commissioner**

			Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate
			2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26
ब	पूंजीगत आय	**CAPITAL INCOME**							
ग	**योजनाएं (कुल प्राप्ति का 60 प्रतिशत अंश अवस्थापना विकास निधि में समायोजित किया जायेगा)**	**Schemes (60% of the total receipts will be adjusted in the Infrastructure Development Fund)**							
1	शिवलोक योजना	SHIVLOK SCHEME	4.00	0.00	2.00	18.53	5.00	9.34	25.00
2	हरिलोक योजना	HARILOK SCHEME	10.00	-8.71	30.00	10.44	30.00	5.63	15.00
3	श्यामलोक योजना	SHYAMLOK SCHEME	10.00	5.75	10.00	6.03	10.00	1.71	6.00
4	आश्रय योजना	AASHARAY SCHEME	5.00	1.14	15.00	2.69	15.00	0.72	15.00
5	ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार	TRANPORT NAGAR HARIDWAR	4602.82	3.00	3220.00	310.52	3000.00	788.74	1500.00
6	इन्द्रलोक योजना–1	INDERLOK SCHEME - 1	1524.18	127.26	1340.00	533.23	1500.00	743.02	1044.15
7	इन्द्रलोक योजना–2	INDERLOK SCHEME - 2	1000.00	0.00	1000.00	0.00	2000.00	0.00	1500.00
8	गंगा व्यू योजना रुड़की	GANGA VIEW PLAN ROORKEE	500.00	0.00	300.00	0.00	2500.00	77.95	3000.00
9	शैल्टर फण्ड ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0	SHELTER FUND EWS/LIG	50.00	199.94	200.00	114.27	300.00	317.36	600.00
10	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	PM RESIDENTIAL SCHEME	1000.00	55.61	2000.00	1195.32	1800.00	239.18	1000.00
	योगः– (ग)	**TOTAL CAPITAL INCOME:-C**	**8706.00**	**383.99**	**8117.00**	**2191.03**	**11160.00**	**2183.65**	**8705.15**
घ									
1	अवस्थापना विकास निधि	AVSTHAPANA VIKAS NIDHI	2000.00	2548.56	4116.25	3896.00	5578.75	4499.04	6123.50
2	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त) / कुंम्भ मेला	(RECEIVED FROM THE GOVERNMENT FOR DEVLOPMENT)/ KUMBH MELA	623.14	623.14	1000.00	5253.05	5058.70	10817.72	11660.79
	योगः– (घ)	**TOTAL:- (D)**	**2623.14**	**3171.70**	**5116.25**	**9149.05**	**10637.45**	**15316.76**	**17784.29**
	कुल पूंजीगत आय (ग+घ)	**TOTAL CAPITAL INCOME :- (C+D)**	**11329.14**	**3555.69**	**13233.25**	**11340.08**	**28326.09**	**24029.05**	**31188.29**
	कुल आय (अ+ब)	**TOTAL INCOME (A+B)**	**13899.14**	**6060.25**	**16584.00**	**14577.58**	**32462.34**	**27342.83**	**34764.79**

Secretary **Vice Chairman** **Chairman/Commissioner**

			Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate
			2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26
अ	राजस्व व्यय	**REVENUE EXPENSES**							
क	अधिष्ठान	ESTABLISHMENT							
1	वेतन और भत्ते	SALARY AND ALLOWANCES	875.00	735.09	1200.00	978.61	1200.00	1063.53	1600.00
2	यात्रा भत्ता बिल	TRAVEL ALLOWANCE EXPENSES	3.00	0.29	3.00	0.09	3.00	1.39	4.00
3	नकदीकरण / पेंशन अंशदान	CASH/PENTION CONTRIBUTION	40.00	21.11	75.00	28.34	300.00	59.57	100.00
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	MEDICAL REIMBURSEMENT	10.00	0.97	10.00	1.10	20.00	2.90	10.00
	योगः– (क)	**TOTAL:- E**	**928.00**	**757.46**	**1288.00**	**1008.14**	**1523.00**	**1127.39**	**1714.00**
ख	कार्यालय व्यय	OFFICE EXPENSES							
1	डाक	POST EXPENSES	1.00	0.42	1.00	0.54	1.00	0.59	1.00
2	लेखन सामग्री	STATIONERY	5.00	2.37	8.00	3.48	10.00	5.03	8.00
3	कार्यालय अनुरक्षण	OFFICE MAINTENANCE	30.00	25.48	40.00	39.65	75.00	41.32	70.00
4	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	CHAIRMAN OFFICE MAINTENANCE	5.00	2.69	5.00	2.25	6.00	3.82	6.00
5	पुस्तकालय	LIBRARY	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05	1.00
6	टेलीफोन व्यय	TELEPHONE EXPENSES	5.00	2.53	5.00	8.55	10.00	12.51	15.00
7	कानूनी व्यय	LEGAL EXPENSES	30.00	16.66	50.00	12.70	60.00	12.91	50.00
8	अतिथि सत्कार	WELCOMING THE GUESTS	2.00	1.97	3.00	3.00	3.50	3.70	5.00
9	मुद्रण	PRINTING EXPENSES	3.00	0.79	5.00	2.14	10.00	0.15	4.00
10	विज्ञापन	ADVERTISEMENT	30.00	8.09	40.00	34.66	60.00	63.92	70.00
11	विविध व्यय	MISCELLANEOUS EXPENSES	10.00	9.70	25.00	21.59	50.00	35.79	50.00
12	मशीनरी अनुरक्षण	MACHINERY MAINTENANCE	5.00	2.39	5.00	3.23	10.00	0.77	8.00
13	विद्युत अनुरक्षण	ELECTRICITY MAINTENANCE	10.00	6.61	18.00	12.15	40.00	23.46	40.00
14	विवेकाधीन कोष (उपाध्यक्ष)	VIVEKADHIN FUND VICE PRESIDENT	10.00	0.00	10.00	9.87	30.00	26.62	30.00
15	अस्थायी अग्रिम	TEMPORARY ADVANCE PAYMENT	2.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00
16	कम्प्यूटर अनुरक्षण	COMPUTER MAINTENANCE	8.00	4.69	10.00	8.92	20.00	12.04	15.00
17	अम्बार शुल्क	AMBAAR FEES	30.00	0.00	30.00	0.00	78.75	0.00	30.00
18	हरिलोक अनुरक्षण	HARILOK MAINTAINANCE	4.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	12.00
19	इन्द्रलोक अनुरक्षण	INDERLOK MAINTAINCE	30.00	5.50	30.00	0.00	50.00	7.10	100.00
20	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण	TRANSPORT NAGAR MAITAINANCE	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	15.00

Secretary Vice Chairman sd/- Chairman/Commissioner

			Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate
			2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26
21	कर देयता/ पैन्लटी आदि	TAXES/FEES& FINES	600.00	-2.90	440.00	0.00	440.00	0.00	425.00
22	परिसम्पत्ति/योजना सुरक्षा	ASSET/SCHEME SAFATY	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
23	लेवर सैस	LABOUR CESS	600.00	906.42	1050.00	1102.18	1150.00	713.02	100.00
24	परामर्श/प्रशिक्षण आदि	ADVICE/TRANING ETC	7.00	0.00	10.00	9.65	130.00	25.70	150.00
25	हरितिमा/पौधारोपण	HARITIMA/PLANTATION	85.00	81.02	112.50	87.01	157.50	28.88	186.50
	योगः– (ख)	**TOTAL: - (F)**	**1523.00**	**1074.43**	**1924.50**	**1361.57**	**2532.75**	**1017.38**	**1496.50**
ग	**वाहन**	VEHICLE							
1	रखरखाव	MAINTAINANCE	4.00	3.73	5.75	5.72	8.00	2.98	6.00
2	पैट्रोल / डीजल	PETORL/DIESEL	20.00	18.01	30.00	22.73	60.00	18.01	60.00
3	किराये के वाहन हेतु	RENT FOR VEHICLE	42.00	36.12	55.00	27.18	80.00	48.90	80.00
	योगः– (ग)	**TOTAL:- (G)**	**66.00**	**57.86**	**90.75**	**55.63**	**148.00**	**69.89**	**146.00**
घ	**कर्मचारी अग्रिम**	EMPLOYEE ADVANCE							
1	वाहन क्रय हेतु	VEHICLE PURCHASE	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2	भवन निर्माण हेतु	BUILDING CONSTRUCTION	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	योगः– (घ)	**TOTAL:- (H)**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**
ड	**महायोजना**	MAHAYOJNA	25.00	7.45	30.00	3.68	50.00	5.55	50.00
	योगः– (ड)	**TOTAL;- (I)**	**25.00**	**7.45**	**30.00**	**3.68**	**50.00**	**5.55**	**50.00**
च	**कम्प्यूटरीकरण (उडा हेतु)**	COMPUTER/ UDDA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
	योगः– (च)	**TOTAL:- (J)**	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ+ड+च)	**TOTAL;-(E+F+G+H+I+J)**	**2662.00**	**1897.20**	**3473.25**	**2429.02**	**4423.75**	**2220.21**	**3576.50**
ब	**पूंजीगत व्यय**	CAPITAL EXPENSES							
क	**संपत्ति क्रय**	ASSET PURCHASE							
1	वाहन/मशीन क्रय	VEHICLE/MACHINE PURCHASE	25.00	0.00	30.00	28.84	52.50	19.55	50.00
2	कम्प्यूटर क्रय	COMPUTER PURCHASE	10.00	7.28	20.00	20.01	30.00	23.63	40.00
3	फर्नीचर/उपकरण	FURNITURE/ EQUIPMENT	10.00	4.36	22.00	16.98	30.00	23.01	35.00
	योगः– (क)	**TOTAL;- E**	**45.00**	**11.64**	**72.00**	**65.83**	**112.50**	**66.19**	**125.00**

Secretary **Vice Chairman** **Chairman/Commissioner**

sd/-

			Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate
			2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26
ख	भूमि क्रय	LAND PURCHASE							
1	नई योजना	NEW SCHEME	1000.00	0.00	1500.00	0.00	5560.00	0.00	5000.00
	योगः– (ख)	**TOTAL ;- (F)**	**1000.00**	**0.00**	**1500.00**	**0.00**	**5560.00**	**0.00**	**5000.00**
ग	**विकास / योजनाओं में विकास कार्य**	DEVLOPMENT/SCHEME WORK							
1	हरिलोक योजना	HARILOK SCHEME	50.00	1.74	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
4	ट्रान्स्पोर्ट नगर योजना	TRANSPORT NAGAR SCHEME	300.00	11.93	500.00	34.76	700.00	252.24	700.00
5	बी0एच0ई0एल0 पुर्नवास योजना	BHEL REHAVILITATION	200.00	0.00	300.00	0.00	50.00	0.00	50.00
6	इन्द्रलोक योजना–1	INDERLOK SCHEME-1	325.00	145.66	310.00	77.90	500.00	265.20	300.00
7	इन्द्रलोक योजना–2	INDERLOK SCHEME-2	100.00	0.00	200.00	0.00	500.00	233.80	700.00
8	गंगा व्यू योजना रुड़की	GANGA VIEW SCHEME ROORKEE	150.00	0.00	600.00	102.88	2000.00	903.73	1500.00
9	नयी योजना	NEW SCHEME	100.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00
10	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	PM RESIDENTIAL SCHEME	3275.00	2901.52	500.00	6.66	400.00	187.53	400.00
11	विकास कार्य / उपाध्यक्ष	DEVLOPMENT WORK	20.00	0.00	30.00	26.67	500.00	54.97	500.00
12	मलिन बस्ती पुर्नविकास / उपाध्यक्ष महोदय	DEVLOPMENT WORK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
	योगः– (ग)	**TOTAL ;- (G)**	**4520.00**	**3060.85**	**2790.00**	**248.87**	**5200.00**	**1897.47**	**5260.00**
घ	**अवस्थापना विकास निधि**	INFRA STUCTURE DEVLOPMENT FUND	5050.00	2178.37	7713.75	2867.77	12107.39	9328.40	**7822.78**
1	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)	SPECIAL ASSISTANCE SCHEME (RECEIVED FROM THE GOVERNMENT FOR DEVLOPMENT)/ KUMBH MELA	623.14	588.70	1035.00	4617.82	5058.70	9864.98	12980.51
	योगः– (घ)	**TOTAL;- (H)**	**5673.14**	**2767.07**	**8748.75**	**7485.59**	**17166.09**	**19193.38**	**20803.29**
	कुल पूंजीगत व्यय (क+ख+ग+घ)	**TOTAL CAPITAL EXP (E+F+G+H)**	**11238.14**	**5839.56**	**13110.75**	**7800.29**	**28038.59**	**21157.04**	**31188.29**
	कुल व्यय (अ+ब)	**TOTAL EXPENSES (A+B)**	**13900.14**	**7736.76**	**16584.00**	**10229.31**	**32462.34**	**23377.25**	**34764.79**

बोर्ड का निर्णय– बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार आय–व्ययक 2025–26 को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary **Vice Chairman** **Chairman/Commissioner**

मद संख्या–84(04):– होटल भूखण्ड संख्या–1 क्षेत्रफल 1037.73 वर्ग मीटर, हरिलोक आवासीय योजना, ग्राम ज्वालापुर, ज्वालापुर तहसील, हरिद्वार को व्यवसायिक उपयोग की अनुमति सम्बन्धी ।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तलपट मानचित्र के अनुसार होटल भूखण्ड संख्या 1, क्षेत्रफल 1037.73 श्री सत्यपाल सिंह पुत्र अतराज सिंह निवासी नौएडा उ0प्र0 के पक्ष में दिनांक 14.02.2008 को विक्रीत किया गया। श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री गौरी शंकर अग्रवाल, श्री हार्दिक अग्रवाल, श्री अंशुल अग्रवाल व श्री अंकुर अग्रवाल के पक्ष में दिनांक 26.11.2018 को क्रय की गयीं। श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री गौरी शंकर अग्रवाल, श्री हार्दिक अग्रवाल, श्री अंशुल अग्रवाल व श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा उक्त सम्पत्ति शाकुम्बरी ऑटोवील्स रूड़की (डायरेक्टर श्री पंकज मिततल निवासी सिविल लाईन रूड़की जिला–हरिद्वार) के पक्ष में दिनांक 26.03.2025 को विक्रय की गयीं।

शाकुम्बरी आटो वील्स रूड़की द्वारा उक्त सम्पत्ति में होटल के स्थान पर व्यवसायिक निर्माण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।तलपट मानचित्र के अनुसार सम्पत्ति होटल के उपयोगार्थ है। प्रस्तावित महायोजना–2025 के अन्तर्गत व्यवसायिक उपयोग में फुटकर दुकानें, शॉपिंग सेन्टर, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, व्यवसायिक कार्यालय, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, बेकरी तथा कन्फैक्शनरीज, सिनेमाहॉल/थियेटर, इन्डोरस्टेडियम, आडिटोरियम, बैंकटहॉल, गेस्टहाउस, रेस्टोरेन्ट, होटल, साप्ताहिक बाजार, हाट, हॉकर्स/वेन्डर्स/ठेलामार्किट, फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन, गोदाम एवं भण्डारगृह, व्यवसायिक व वाणिज्यक व वाणिज्यिक केन्द्र, आवासीय भवन, ग्रुपहाउसिंग, वोर्डिगहाउस, छात्रावास, सूचना प्रौद्योगिकी भवन, कालेज,नर्सिंग होम/ मेडिकल क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलॉजीलेब, शोध/प्रशिक्षण संस्थान, सेवा केन्द्र /गैराज/कार्यशाला, बारातघर, रैनवसैरा, पुस्तकालय, धार्मिकस्थल, पार्क एवं खुला क्षेत्र, संग्रहालय, पुलिसस्टेशन/पोस्ट, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैण्ड, पार्किंगस्थल, मल्टीलेवलपार्किंग, डाकघर, केन्द्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक उपकम के कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेन्ज, सामान उतारने–चढाने के स्थल, धर्मकांटा, शतगृह, अग्निशमन केन्द्र, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सीवरव्यवस्था, टेलीफोन एक्सचेन्ज, ए0टी0एम0 आदि अवस्थापना सुविधाये एवं तत् सम्बन्धी भवन अनुमन्य है।

व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत होटल अनुमन्य के अन्तर्गत है तथा इस उपयोग मेंं यवसायिक भवन भी आते है। होटल से व्यवसायिक भूखण्ड उपयोग हेतु यदि आवेदक मूल विकय धनराशि रू0–60,37,822.00 का 02 प्रतिशत अर्थात रू0–1,20,756.00 जमा करता है, तो उपरोक्तानुसार होटल हेतु आरक्षित भूखण्ड को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि ले–आउट में संशोधन हेतु सी0टी0सी0पी0 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि तलपट मानचित्र को संशोधित करते हुए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है तद्नुसार बोर्ड द्वारा ले–आउट संशोधन किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(5):– श्री निर्मल कुमार, निवासी–चन्दनगर, कनखल, हरिद्वार द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए शासनादेश सं0 297 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा देय विकास शुल्क तथा शासनादेश सं0 1311 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा उप विभाजन शुल्क की दरों को लागू कराये जाने सम्बन्धी ।

राज्य के विकास प्राधिकरणों में उत्तराखण्ड शासन के आवास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 297 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा निर्धारित शुल्कों तथा शासनादेश सं0 1311 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा निर्धारित उप विभाजन शुल्को को लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री निर्मल कुमार द्वारा अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में सामान्यतः उक्त शासनादेश के अनुसार ही शुल्क आरोपित किये जा रहे है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा हरिद्वार महायोजना के अन्तर्गत आवासीय भू–उपयोग में नियमित किये गये ऐसे क्षेत्र/कॉलोनियों मेंइन क्षेत्रों/कॉलोनियों के नियमितीकरण के समय बोर्ड द्वारा विकास शुल्क सहित उप विभाजन शुल्क आदि का निर्धारण किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त विकास कार्यो की वर्तमान लागत को दृष्टिगत रखते हुए शुल्कों आदि का निर्धारण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति/शमन के शमन के समय बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर शुल्क लिया जाता है।शासनादेश के विपरीत शुल्कों का निर्धारण निर्माण सामग्री की वर्तमान बाजारी दर के अनुसार विकास कार्यों का आंकलन किया जाता है, जिसके आधार पर प्रति वर्गमी0 की दर से विकास शुल्क आदि का निर्धारण किया जाता है।जहाँ तक उप विभाजन शुल्क की दरों का प्रश्न है, बिना अनुमति के भू–उपविभाजन किये जाने के कारण उप विभाजन शुल्क का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के निर्धारण का एक उद्देश्य अनधिकृत रूप से किये जा रहे भू–उपविभाजन को हतोत्साहित किया जाना भी है। उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नवत् है:–

1–वर्ष 2014 के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियमित की गयी कॉलोनियों में विकास शुल्क, उप विभाजन शुल्क आदि की दरें बोर्ड द्वारा निर्धारत दरों के अनुसार ही देय होगा। (नियमित कालोनियों का विवरण संलग्न है)

2–दिसम्बर, 2014 तक प्राधिकरण ।बोर्ड द्वारा नियमित की गयी कॉलोनियों एवं उपरोक्त बिन्दु सं0 01 के क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रो में विकास शुल्क आदि की दरें शासनादेश सं0 297 दिनांक 10.09.2018 शासनादेश सं0 1311 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार निर्धारित दरें लागू होगी।(वर्ष 2014 के उपरान्त किसी कालोनी का नियमितीकरण नहीं किया गया है शासनादेश संलग्न है) तद्नुसार प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– **बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए वर्ष 2014 से पूर्व नियमित की गई कालोनियों मेंशासनादेश सं0 297 दिनांक 10.09.2018 शासनादेश सं0 1311 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार निर्धारित दरें लागू होगीं। तथा 01 जनवरी, 2015 के पश्चात नियमित की गई कालोनियों में बोर्ड द्वारा निर्धारित दरें लागू होंगी , तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।**

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(6) :– भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुश्री वन्दना कटारिया द्वारा इन्द्रलोक कॉलोनी में प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड को निःशुल्क आवंटित किये जाने विषयक।

सुश्री वन्दना कटारिया पुत्री श्री नाहर सिंह, निवासी–ग्राम–रोशनाबाद, हरिद्वार द्वारा हरिद्वार में आवास बनाये जाने हेतु आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने का अनुरोध दिनांक 02.06.2025 में किया गया है। सुश्री वन्दना कटारिया हॉकी की अन्तर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी रही है, इनके द्वारा हॉकी के विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश को अनेकों मेडल से गौरावन्वित कराया गया तथा जिससे भारत का नाम रोशन हुआ है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पदमश्री तथा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा प्राधिकरण से हरिद्वार में आवास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– **प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(7) :– प्राधिकरण के आई0टी अनुभाग में कार्यरत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के मासिक पारिश्रमिक भुगतान में बढोतरी सम्बन्धी ।

श्री बृजेश कुमार उपाध्याय प्राधिकरण में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर संविदा के माध्यम से विगत आठ वर्षों से कार्यरत है। श्री बृजेश कुमार उपाध्याय को वर्तमान में मासिक पारिश्रमिक के रूप में रू0–76,403.00 का भुगतान किया जा रहा है।संविदा कार्मिकों को बोर्ड बैठक सं0 74(17) में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की जाती है। श्री उपाध्याय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2025 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड के आई0टी0डी0ए0 विभाग की ओर से उन्हें रू0–1,30,000.00 प्रतिमाह पर कार्य करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया है कि यदि इनके मासिक पारिश्रमिक में रू0–25,000.00 की वृद्धि करतेहुए मासिक पारिश्रमिक रू0–1,01,403.00 किया जाता है, तो वे प्राधिकरण को निरन्तर अपनी सेवाएं देने को तैयार है।

चूंकि वर्तमान परिस्थितयों में प्राधिकरण के अधिकतर कार्य ईज एप सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराये जा रहे है, जिसके संचालन, रख रखाव तथा अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण से सम्बन्धित कार्यो हेतु एक अनुभवी एवं भिज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होना आवश्यक है। प्राधिकरण ढांचे के अनुसार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पद सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के अन्तर्गत आउटसोर्स में स्वीकृत है। अतः पारिश्रमिक वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त मासिक पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84(8) :– प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत आने वाले पुरानी आबादी (श्रेणी 6(2) अंतर्गत ग्रामों में नक्शा स्वीकृति की बाध्यता से छूट प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव ।

हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे राजस्व गांव आते हैं जो लंबे समय से बसे हुए हैं तथा जिन्हें ''**पुरानी आबादी** '' की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों को श्रेणी 6(2) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन ग्रामों की विशेषता यह है कि सामूहिक सजरे में सम्मिलित होते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम भूमि पर अंकित नहीं होता, तथा संपूर्ण बस्ती एक या अधिक खेत संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। यद्यापि इन क्षेत्रों में भू–स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व अधिकारिता प्रदान किये गय है। विरासत व अन्य नामान्तरण सम्बन्धी प्रकिया अस्पष्ट होने के कारण स्वामित्व सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जब नागरिक नक्शा पास कराने हेतु आवेदन करते हैं तो स्वामित्व प्रमाण, सीमांकन आदि में कठिनाई उत्पन्न होती है। साथ ही, अधिकांश निर्माण घरेलू एवं छोटे स्तर के होते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर व मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। प्रस्तावित छूट उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है किप्राधिकरण क्षेत्रांतर्गतआनेवालेपुरानीआबादी (श्रेणी 6(2)) क्षेत्र में यदिकोईनिर्माणकेवल घरेलूउपयोग (आवासीय) हेतु किया जा रहा हो, तो ऐसे निर्माणों को नक्शा स्वीकृति की बाध्यता से छूट प्रदान की जाए। यह छूट केवल क्षेत्र विशेष में ही लागू होगीतथा व्यावसायिक निर्माण इस छूट के अंतर्गत नहीं आऐंगे।

प्रमुख तर्क एवं औचित्यः–

1–सामाजिक संरचना एवं परम्परागत संयुक्त परिवारों का संयुक्त स्वामित्व प्रमाण एकल रूप में अभिलेखीय प्राप्त किये जाने पर कठिनाईयां तथा दीर्घकालिक प्रकियाएं होती है।

2–वास्तविक नियोजन के विपरीत कियान्वयन में बार–बार नक्शा अस्वीकृत होने से अवैध निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है।

3–ग्रामीण वर्ग को आर्थिक भार मानचित्र स्वीकृत कराने में वहन करना पड़ता है,जबकि उनका निर्माण सीमित तथा छोटे–छोटे भूखण्डों मे होता है।

4–वास्तविक स्थिति के अनुकूल लचीलापन है। यह छूट नागरिकों को प्राधिकरण के प्रति सहयोगी बनाती है और अवैधता को हतोत्साहित करती है।

बोर्ड से यह अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय है कि ''हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले पुरानी आबादी (श्रेणी 6(2)) क्षेत्र मे किए गए छोटे स्तर के घरेलू /आवासीय निर्माण कार्यों को नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए, बशर्ते कि वह निर्माण व्यावसायिक प्रयोजन हेतु न हो। अतःप्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– **प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84(09) :– हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में ठेकेदार /मानचित्रकार /अभियन्ताओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण तथा मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया हेतु मानचित्रकार तथा अभियताओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में तीनों पंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। प्रस्ताव है कि वर्तमान प्रक्रिया में दिनांक 15.07.2025 तक, जो आवेदन प्राप्त हों, पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है । तदोपरान्त ठेकेदारों हेतु 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा मानचित्रकार /अभियन्ताओं हेतु 01 जनवरी से 31 जनवरी तक की अवधि निर्धारित किया जाना उचित होगा। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण में उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या 84(10) :– श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री चमन सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA /NC /0476 /24-25 में 02 फिलिंग स्टेशनों के मध्य शिथिलता के सम्बन्ध में।

भूमि खसरा नंबर 776मि0 क्षेत्रफल 1225 वर्गमी0 स्थित–ग्राम भगवानपुर, चन्दनपुर, परगना मंगलौर व तहसील–रूड़की में आवेदन कर्ता श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री चमन सिंह द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भवन उपविधि के अनुसार, शासनादेश संख्या–1647 दिनांक–05.10.2021 के अनुसार मैदानी क्षेत्र मे निकाय सीमा से बाहर एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी 1000 मी0 होनी आवश्यक है जब कि स्थल के कोर्डिनेट के अनुसार प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन लण्ढ़ौरा–मंगलौर राजमार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन से विद्यमान फिलिंग स्टेशन की मध्यान्तर दूरी लगभग 157.0मी0 होने के कारण आवेदक द्वारा आवेदित ऑनलाईन पत्रावली सं0 HRDA/NC/0476/24-25 को निरस्त कर दिया गया था। आवेदक द्वारा दिनांक 13.06. 2025 को प्रार्थना पत्र के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में शिथिलता दिये जाने हेतु बोर्ड /शासन को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश दिनांक 17.06.2022 द्वारा 25 प्रतिशत शिथिलता का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में, 50 प्रतिशत सीमा तक उडा को तथा 50 प्रतिशत से अधिक की स्थिति में शासन को निर्णय लिये जाने का अधिकार है। प्रकरण में मध्यान्तर दूरी का अन्तर 50 प्रतिशत से अधिक है।

अतः प्रकरण बोर्ड की सहमति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या–84 (11):– श्रीरामपाल सिंह व श्री नवीन कुमार व श्री जनेश्वर प्रसाद व श्री अंबरीश पुत्रगण झल सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0238/24-25/RE1 में फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड क्षेत्रफल की शिथिलता के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 18–06–2025 के अनुसार आवेदक श्री रामपाल सिंह व नवीन कुमार व जनेश्वर प्रसाद व अंबरीश पुत्रगण झल सिंह की भूमि खसरा नंबर 61 मि0 क्षेत्रफल 1240 वर्गमीटर स्थित ग्राम शांतरशाह परगना व तहसील रूडकी की खाता विवरण, लीज डीड, राजस्व विभाग की आख्या दिनांक 16–12–2024 व हिस्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मानचित्र स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। उक्त आख्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रेषित की गयी है यदि भविष्य में भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई वाद–विवाद /संलग्न साक्ष्यों में असत्यता पाये जाने की स्थिति में आवेदक गण स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के क्रम में अवगत कराना है प्रश्नगत स्थल शान्तरशाह परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार वर्तमान में महायोजना के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया व स्थल पर भूखण्ड रिक्त है तथा नगर निकाय सीमा के बाहर स्थित है। मानचित्र की तकनीकी आख्या निम्नवत है :–

क्र.	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01.	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1225.00 वर्ग मीटर	1240.00 वर्ग मीटर
02.	भूखण्ड की माप	35.00 X 35.00 वर्ग मीटर	––
03.	अग्र भुजा	35.00 मीटर	41.20 मीटर
04.	पृष्ठ भुजा	35.00 मीटर	38.50 मीटर
05.	पार्श्व भुजा–1	35.00 मीटर	27.00 मीटर (अनुमन्य से 22.86 प्रतिशत कम)
06.	पार्श्व भुजा–2	35.00 मीटर	30.00 मीटर (अनुमन्य से 12.86 प्रतिशत कम)
07.	पहुँच मार्ग	18.00 मीटर	48.00 मीटर
08.	फ्रन्ट सेट बैक	––	––
	रियर सेट बैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक–1	3.00 मीटर	3.00 मीटर

Secretary   Vice Chirman   Chairman /Commissioner

	साईड सेट बैक–2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
09.	भू–आच्छादन	5.00 प्रतिशत	प्रतिशत
10.	एफ0ए0आर0	0.05	
11.	कैनोपी की ऊँचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर
12.	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यून्ततम 3.00 मीटर)	भूतल (3.00 मीटर)
13.	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	वर्ग मीटर
14.	अन्य विवरण	––	––

अवगत कराना है कि प्रस्ताव फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमन्य से अधिक है किन्तु भूखण्ड की पार्श्व भुजा–1 अनुमन्य 22.86 प्रतिशत कम व पार्श्व भुजा–2 अनुमन्य से 12. 86 प्रतिशत कम है।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या–1311 /वी–2/21–10(आ0) /2020 दिनांक 26–07–2021 के प्रस्तर 2 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार 25 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित होगा । अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>बोर्ड का निर्णयः–</u> बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की तदोपरान्त भवन उपविधि के अनुसार परीक्षण कराते हुए मुख्य नगर नियोजक से मन्तव्य प्राप्त कर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण को निर्देश दिये गये।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84(12) :- हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु शैल्टर होम के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध संख्या-104/2023-24 को समाप्त किये जाने हेतु।

कार्यदायी मैसर्स एम0आर0 इन्फ्रा के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2025 पर अधिशासी अभियन्ता महोदय के पृष्ठांकन आदेश का अवलोकनकरने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि अनुबन्ध संख्या-104/2023-24 के अन्तर्गत पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-143/2018 Act Now Welfare Society बनाम उत्तराखण्डराज्य व अन्य में मा0 उच्चन्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 26.09.2022 के अनुपालन में जनपद हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु शैल्टर होम का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। स्थल पर भारी जन विरोध होने के कारण प्राधिकरण की 80वीं0 बोर्ड बैठक दिनांक 29.01.2024 के मद संख्या-84 (4) में निर्णय लिया गया है कि ''हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद हरिद्वार रोशनाबाद में कुष्ठ रोगियों के पुर्नवास हेत कुष्ठ आश्रम के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कुष्ठ आश्रम निर्माण स्थल हेतु अन्यत्र स्थान का चयन किया जायें। जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के आदेश संख्या-1522 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा ग्राम सलेमपुर महदूद, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खाता संख्या-731 के खसरा नम्बर 544 क्षेत्रफल 194.033 है0 में से जिला मुख्यालय जोनल प्लान में प्रदर्शित प्लाट संख्या-42 में (पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर, दो साईड रोड, पार्क के सामने) 0.2100 है0 (60मी0 35 मी0) भूमि उपचारित कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास योजना के लिए जिला समाज कल्याण विभाग हरिद्वारक ो शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन नयी भूमि आवंटित की गयी है। आवंटित भूमि पर अनुबन्ध संख्या-20/2024-25 के अन्तर्गत मैसर्स रॉयल कन्सट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व अनुबन्ध संख्या-104/2023-24 को समाप्त करते हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का भुगतान मैसर्स एम0आर0 इन्फ्रा को करायेजाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

बोर्ड का निर्णयः- बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण

Secretary　　　　Vice Chirman　　　　Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84(13):– सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की नहर की पटरी से लगी भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवसायिक निर्माण /कालोनी गतिविधि की अनापत्ति तथा लगी भूमि से रास्ता न दिये जाने विषयक।

उत्तरी खण्ड गंगा नहर हरिद्वार के पत्रांक–44 दिनांक 04–06–20025 के द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा किनारे नहर पटरी से लगी भूमि पर कालोनियाँ विकसित की जा रही है, जिसमें विभाग की कोई भी अनापत्ति प्राप्त नही की गयी है। नहरों के किनारों पर ''No Construction Zone'' निर्धारण किया गया है, जिसमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की नहर की पटरी से लगी भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि की अनापत्ति दिया जाना सम्भव नही है। कालोनाईजर द्वारा सिंचाई विभाग की बिना अनुमति के कालोनी का रास्ता सिंचाई विभाग की भूमि से लेने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य नहर के दोनों ओर जो भी अनाधिकृत रूप से आवासीय /व्यवसायिक निर्माण तथा कालोनी विकसित की जा रही है, उनके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम निर्माण तथा विकास अधिनियम–1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण गिराने /समाप्त /घ्वस्त करने का कारण बताओ नोटिस एवं धारा–28(1) के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने एवं पुलिस कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही नहर के किनारे प्राधिकरण द्वारा भवन उपविधि–2019 के अन्तर्गत समस्त मानचित्र महायोजना के अनुरूप /महायोजना से बाहर स्वीकृत किये जाते है।

आवेदकों द्वारा अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सुगमता से नही प्राप्त होता है, जिस कारण उनके व्यवसायिक भवन /आवासीय भवन बनाने की योजना अधर में लटक जाती है। यद्यपि कई व्यवसायिक /आवासीय मामलों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति भी प्राप्त की गयी है। प्राधिकरण द्वारा जितने भी मानचित्र स्वीकृत किये जाते है राजस्व अभिलेखों से स्वामित्व की पुष्टि होने के उपरान्त स्वीकृत किये जाते है। यदि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवंज ल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–223 दिनांक 26–04–2024 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत किये जाते है तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का अनुपालन किया जाना है /भूमि की आवश्यकता है तो R.O.W अंकित करते हुए सम्बन्धित भू–स्वामित्व धारकों को मुआवजा आदि की कार्यवाह सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपरोक्तानुसार भू–स्वामित्व धारकों को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की अनापत्ति आवश्यक प्रतीत नही हो रही है। अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई, तदोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित भवन उपविधि /शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84 (14) :– भूपतवाला, सप्तसरोवर तथा श्रवणनाथ नगर क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक गति विधियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

भूपतवाला, सप्तसरोवर तथा श्रवणनाथ नगर क्षेत्र में चल रहींव यवसायिक गति विधियों का सर्वेक्षण कराया गया,जिनका विवरण तालिका में निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	आवासीय	व्यवसायिक	वास्तविक प्रयोग /गतिविधि
भूपतवाला	63	15	व्यवसायिक
सप्तसरोवर	15	11	व्यवसायिक
श्रवणनाथ नगर	सर्वेक्षण कार्य गतिमान है। मौके पर लगभग 70 प्रतिशत में आवासीय प्रयोजन के विरूद्ध व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।		
कुल योग	78	26	

उपरोक्त सर्वेक्षण तालिका से स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्रों में प्रयोजन के विरूद्ध वर्तमान में व्यवसायिक गतिविधियां जैसे कि होटल, गेस्ट हाउस आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, की संख्या अधिक है, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है:–

1–हरिद्वार शहर एक तीर्थ स्थान है, जिसमें वर्ष भर श्रद्धालु स्नान पर्वों, कांवड यात्रा तथा चारधाम यात्रा पर आवागमन करते है, उक्त क्षेत्र हर की पैडी तथा चारधाम यात्रा का मुख्य मार्ग के दोनों ओर स्थित है।

2–प्रचलित महायोजना में प्रश्नगत क्षेत्रों में आवासीय जोन अधिक तथा व्यवसायिक जोन कम है।

3–प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक गतिविधि हेतु न्यूनतम भूखण्ड एरिया होटल/गेस्टहाउस हेतु कम है, जिसकारण स्वीकृत आवासीय प्रयोजन के भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है।

4–प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक गतिविधि हेतु सड़क की पहुंच मार्गों की चौड़ाई मौके पर भवन उपविधि के अनुसार न होने से व्यवसायिक मानचित्र यथा होटल/गेस्ट हाउस स्वीकृत नहीं किये जा सकते।

उपरोक्तानुसार उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में भवन/शमन उपविधि में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु यथा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। ाअतः उपरोक्तानुसार प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त उक्त क्षेत्रों में नये मानचित्रों पर 02 माह तथा शमन मानचित्र प्रकरणों में 01 माह तक रोक लगाये जाने तथा ड्रोन सर्वे कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(15):– आवास एवं विकास में विकसित व्यवसायिक भवनों को गुणदोष के आधार पर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

आवास विकास परिषद द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित है। हरिद्वार में विवेक विहार, मॉडल कालोनी तथा शिवालिक नगर में आवास विकास परिषद द्वारा स्वीकृत आवासीय इकाईयों के विपरीत व्यवसायिक प्रयोजनार्थ होटल /काम्पलैक्स /दुकानें/ अस्पाताल आदि आवास विकास परिषद के समय से ही संचालित हैं। हरिद्वार महायोजना–2025 के अन्तर्गत विवेक विहार तथा मॉडल कॉलोनी के मध्य में 45 मी0 सड़क मार्ग प्रस्तावित है। महायोजना के अनुसार सडक मार्ग के मार्गाधिकार को छोडते हुए 50 मी0 तक समानान्तर व्यवसायिक प्रयोजन अनुमन्य होता है जबकि पूर्व स्वीकृत आवास विकास मानचित्रों में ऐसी कोई व्यवस्था परिलक्षित नही है ओर न ही शासन /आवास विकास द्वारा इस पर यथोचित निर्णय अपेक्षित है। इसीप्रकार शिवालिकनगर जो कि महायोजना सीमान्तर्गत नहीं आती है जबकि वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग जिला मुख्यालय, भेल क्षेत्रफल को जोडने वाला मार्ग है, जिसकी चौडाई लगभग 24 मी0 व 30 मी0 है, जिसके दोनों ओर आवास विकास परिषद के नियंत्रण /क्षेत्राधिकार से ही वृहद पैमाने में वयवसायिक गतिविधियॉं विवेक विहार तथा मॉडल कालोनी की तरह विकसित है।

उपरोक्तानुसार उक्त क्षेत्रों में विकसित व्यवसायिक निर्माणों /भवनों को नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त उक्त क्षेत्रों में नये मानचित्रों पर 02 माह तथा शमन मानचित्र प्रकरणों में 01 माह तक रोक लगाये जाने तथा ड्रोन सर्वे कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84 (16) :– श्री घनश्याम राणा पुत्र स्व0 श्री भगवत प्रसाद निवासी मायापुर जगतगुरू आश्रम के सामने, महात्मा गॉधी मार्ग, कनखल हरिद्वार में तीर्थ महत्व के नगरों में गेस्ट हाऊस हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या– MAP /HRDA/NC /0148 /25-26 हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल में शिथिलिता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

आवेदक श्री घनश्याम राणा पुत्र स्व0 श्री भगवत प्रसाद निवासी जगतगुरू आश्रम के सामने, महात्मा गांधी मार्ग, कनखल हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण में ऑनलाईन के माध्यम से प्रश्नगत भूमि पर तीर्थ महत्व के नगरों के अन्तर्गत खसरा संख्या 587 रकबा 371.75 वर्ग मी0 भूमि पर गैस्ट हाउस की स्वीकृति हेतु मानचित्र आवेदन संख्या MAP /HRDA/NC /0148 /25-26 प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रचिलित भवन उपविधि के प्रस्तर 7.1(III) के अनुसार तीर्थ महत्व के नगरों में गेस्ट हाऊस हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 400 वर्गमी0 होना आवश्यक है।जबकि आवेदक द्वारा गैस्ट हाऊस हेतु प्रस्त्तत मानचित्र हेतुभूमि का क्षेत्रफलकुल 371.75 वर्ग मी0 है।जिसके फलस्वरूप भवन उपविधि के अनुसार कुल वांछित भूखण्ड क्षेत्रफल 400 वर्ग मी0 से 28.25 वर्ग मी0 कम है अर्थात वांछित भूखण्ड क्षेत्रफल से कुल 7.06 प्रतिशत कम है। प्रस्तुत प्रस्ताव में प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 14.06.2025 के अन्तर्गत आवेदक श्री घनश्याम राणा पुत्र स्व0 श्री भगवत प्रसाद की भूमि खसरा न0 587 मि0 क्षेत्रफल 371.75 वर्ग मी0 स्थित ग्राम मायापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खाता विवरण व शपथपत्र पूर्व स्वीकृत मानचित्र के आधार पर भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु भूस्वामित्व की पुश्टि की गयी है तथा मानचित्रकार की आख्या दिनांक 14.06.2025 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत 18 मी0 महायोजना मार्ग में निर्मित क्षेत्र (**R-1**) के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तीर्थ महत्व के नगरों के अन्तर्गत प्रश्नगत गेस्टहाऊस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त **मानचित्र के परीक्षण के उपरान्त मानचित्र हेतु भूमि का क्षेत्रफल कुल** 371.75 वर्ग मी0 **प्रदर्शित किया गया है। जबकि भवन उपविधि के अनुसार** तीर्थ महत्व के नगरों के अन्तर्गत प्रश्नगत गेस्ट हाऊस हेतु **न्यूनतम भूमि 400 वर्ग मी0 अनुमन्य है। प्रस्ताव हेतु भूमि क्षेत्रफल में 7.06 प्रतिशत की शिथिलता की आवश्यकता है। शासनादेश सं0–1311/V-2/21-10(आ0)–2020 दिनांक–26 जुलाई 2021 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के मानको में 25 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार स्थानीय विकास प्राधिकरण (हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण) के बोर्ड में निहित है।**

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल में 7.06 प्रतिशत शिथिलता हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मदसंख्या 84 (17) :– डा0 विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री राहतु लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र संख्या– MAP /HRDA/NC /0299 /24-25 नर्सिंग होम व आवासीय प्रयोजन के सम्बन्ध में ।

आवेदक डा0 विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री राहुतलाल शर्मा, डा0 कल्पना शर्मा पत्नी डा0 विनय कुमार शर्मा, डा0 अभिषेक परासर पुत्र डा0 विनय कुमार शर्मा व डा0 विभु शंकर परासर पुत्र डा0 विनय कुमार शर्मा द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या– MAP /HRDA/NC /0299 /24-25 नर्सिंग होम व आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मानचित्रकार की आख्या दिनांक 14–11–2024 के अनुसार स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में आवासीय (आर–2) के अन्तर्गत आता है। प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 19–11–2024 के अनुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक की भूमि खसरा नं0 1695 मि व 1680 मि प्रस्तावित क्षेत्रफल 811.46 वर्गमीटर स्थित ग्राम सलेमपुर महदूद 2 परगना रूड़की व तहसील हरिद्वार के विक्रय पत्र व उद्धरण खतौनी के आधार पर भू–स्वामित्व की पुष्टि होती है। उक्त आख्या आवेदक प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रेषित की गयी है यदि भविष्य में भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद /संलग्न साक्ष्यों में असत्यता पायी जाती है तो यह आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी।

प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जॉच की गयी। स्थल के कॉर्डिनेट 29,935430,78,049712 है। प्रश्नगत स्थल /प्रस्तुत मानचित्र का तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है। (प्रश्नगत प्रकरण में स्थल पर भू–खण्ड का कुल क्षेत्रफल 811.46 वर्गमीटर विद्यमान है व मार्गाधिकार के पश्चात नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 756.76 वर्गमी0 शेष बचत है तथा स्थल के दो ओर 6.10 मी0 चौडा मार्ग विद्यमान है। भवन उपविधि के पृष्ठ सं0–16 के बिन्दु सं0–2.61 के उपबिन्दु सं0–1 के अनुसार नगर के विकसित क्षेत्रों में ऐसे भूखण्ड जिनको भवन उपविधि में मैदानी क्षेत्रों हेतु प्राविधानित निर्धारित न्यूनतम मार्ग चौड़ाई के दो पृथक–पृथक मार्गो से पहुँच मिलती हो, में भूखण्ड हेतु अधिक चौड़े मार्ग की कुल चौडाई तथा कम चौडे मार्ग की आधी चौड़ाई के कुल योग के अनुसार भवन की ऊँचाई व अन्य प्राविधान भवन उपविधि के मानको के अनुसार अनुमन्य होंगे :–

क्र0	विवरण	भवनउपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	750.00 वर्गमीटर	756.76 वर्गमीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	6.10+6.10/2=9.15 मी. (अनुमन्य से 23.75 % न्यून)
03	सेटबैक		
	फ्रन्ट सेटबैक	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	रियर सेटबैक	4.50 मीटर	4.50 मीटर

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

	साईडसेट बैक–1	3.60 मीटर	3.60 मीटर
	साईडसेट बैक–2	3.60 मीटर	3.60 मीटर
04	भू–आच्छादन	50.00 प्रतिशत	37.90 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	1.50	1.040
06	भवन की ऊँचाई	12.00 मीटर	9.00 मीटर
07	पार्किंग	611.40 ECS	13.29 ECS
08	अन्य विवरण	–	–

अतः उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार 756.76 वर्ग मीटर भू–खण्ड में नर्सिंग होम हेतु स्थल पर विद्यमान सड़क की चौडाई 12 मी0 आवश्यक है किन्तु स्थल पर मार्ग 9.15 (6.10+6.10/2) मी. विद्यमान है, जो अनुमन्य से 23.75 प्रतिशत कम है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विद्यमान सड़क में शिथिलता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

शासनोदेश सं0–1311/V-2/21-10(आ0)–2020 दिनांक–26 जुलाई 2021 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के मानको में 25 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार स्थानीय विकास प्राधिकरण (हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण) के बोर्ड में निहित है। अतः सड़क में 23.75 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>बोर्ड का निर्णयः–</u> बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की तदोपरान्त भवन उपविधि /शिथिलता के शासनादेश के अनुसार परीक्षण कराते हुए अनुमोदित किया गया।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(18) :– प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर योजना भूखण्डों के विक्रय मूल्य रू0 40843 प्रति वर्ग मीटर को वर्ष 2025–2026 तक यथावत रखे जाने सम्बन्धी ।

हरिद्वार शहर में व्यवसायरत ट्रांसपोर्टस /व्यवसायिक /गोदाम /गैस गोदाम /ट्रांसपोर्ट आफिस /स्पेयर पार्ट ऑफिस आदि को व्यस्त एरिया से विस्थापित कर प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार को वर्ष 2005 में विकसित की गयी थी। योजना में प्रथम वार आवेदकों से पंजीकरण हेतु दिनांक 16–06–2005 से दिनांक 15–07–2005 तक की अवधि में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। उक्त अवधि में आवेदकों द्वारा अपेक्षाकृत पंजीकरण कम कराया गया, इसलिए योजना में वर्ष 2023 तक समय–समय पर कुल 07 बार पंजीकरण /निविदा आमन्त्रित की गयी। योजना के आरम्भ में विभिन्न श्रेणी के कुल 257 भूखण्ड थे, जिनमें से विभिन्न श्रेणी के वर्ष 2022 तक कुल 109 भूखण्ड आवंटित किय गये। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संख्या–70 की मद सं0–28 में लिये गये निर्णयानुसार बडे भूखण्डों को बडे से छोटे–छोटे भूखण्डों में तलपट मानचित्र के अनुसार परिवर्तित किया गया। संशोधन तलपट मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित भूखण्डों की सं0–456 है।

उक्त के क्रम में योजना के विभिन्न श्रेणी के रिक्त 297 भूखण्डों के पंजीकरण हेतु दिसम्बर 2024 से दिनांक 31–03–2025 तक आवेदन आमन्त्रित किये गये, जिसमें विभिन्न श्रेणी के केवल 130 भूखण्ड आवंटित किये गये। योजना के रिक्त 167 भूखण्डों के विक्रय हेतु बार–बार पंजीकरण खोले जाने के बावजूद अपेक्षाकृत भूखण्डों का विक्रय नहीं हो पा रहा हैं।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या (09) में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के विक्रय मूल्य यं0–40883.00 प्रति वर्ग मीटर को मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया था। भूखण्डों में अपेक्षाकृत विक्रय न होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्डों के पूर्व अनुमोदित /निर्धारित मूल्य रू0 40883.00 प्रति वर्ग मीटर को वित्तीय वर्ष 2025–2026 तक यथावत रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बोर्ड द्वारा अवशेष भूखण्डों के विक्रय हेतु एक बार अन्तिम रूप से पंजीकरण खोलने तथा उसके बाद 31 मार्च 2026 तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पत्तियों के निस्तारण कराये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(19) :– इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के विक्रय मूल्य को मार्च 2026 तक यथावत रखे जाने सम्बन्धी ।

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत 2 बी0एच0के0 के 96 भवन/फ्लैट तथा ई0डब्लू0एस0 के 48 भवन प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये। भवनों के विक्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 9 बार पंजीकरण खोला गया। 2 बी0एच0के0 का अन्तिम मूल्य रू0–48.00 लाख प्रति भवन, ई0डब्लू0एस0 भवन मूल्य रू0–7.00 लाख प्रति भवन वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित किया गया। चूंकि इन्द्रलोक आवासीय योजना(ग्रुप हाउसिंग) का पंजीकरण प्रथम बार दिनांक 23.12.2011 से 15.02.2012 तक खोला गया, तत्समय जिसमें 2 बी0एच0के0 के 03 आवंटन किये गये तथा ई0डब्लू0एस0 के 10 आवंटन किये गये, तद्नुसार उसके उपरांत भी कई बार पंजीकरण आमन्त्रित करने पर भी 2 बी0एच0के0 (87 भवन) एवं ई0डब्लू0एस0 के अन्तर्गत (24 भवन) विक्रय हेतु अवशेष है। जिस पर 72 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि 2बी0एच0के0 भवनों हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य (रू0–48.00 लाख) तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों का विक्रय मूल्य (रू0–7.00 लाख) को अनुमोदित करते हुए इन दरों को मार्च 2023 तक यथावत रखा जाये तथा पहले आओ पहले पाओं के आधार पर पंजीकरण खोलकर भवनों का आवंटन किया जाये। जिसके क्रम में 72 वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा मद संख्या–06 के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा भवनों/फ्लेटों का पजीकरण 2 बार खोला गया जिसमें 2बी0एच0के0 के 03 भवन तथा ई0डब्लू0एस0 के 2 भवन आवंटित किये गयें।

उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षा के अनुसार विक्रय नहीं होने पर प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–08 पर पुनः प्रस्ताव रखा गया कि जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 07.06.2024 के प्रस्ताव संख्या 81(10) में अनुमोदित विक्रय मूल्य 2बी0एच0के0 भवन हेतु 48.00 लाख तथा ई0डब्लू0एस0 भवन हेतु रू0–7.00 लाख को आगामी मार्च 2025 तक फ्रीज करते हुए पहले आओ पहले पाओं के आधार पर मार्च 2025 पंजीकरण आमन्त्रित करने हेतु प्रस्ताव पर **पर सहमति व्यक्त की गयीं।**

उक्त के दृष्टिगत योजना के कुल 96 भवनों में से वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवशेष 79 2बी0एच0के0 एवं 30 ई0डब्लू0एस0 भवनमें से 25 2बी0एच0के0 एवं 10 ई0डब्लू0एस0 भवन तथा आगामी बोर्ड बैठक के अनुमोदन की प्रत्याश में भवनों के पूर्व अनुमोदित/निर्धारित मूल्य को यथावत रखते हुए दिनांक 01.04.2025 से 18.06.2025 में 10 2बी0एच0के0 एवं 02 ई0डब्लू0एस0 भवन विक्रय किये गये। वर्तमान में उक्त योजना में 44 2बी0एच0के0 एवं 18 ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के भवन अवशेष है।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

उक्तानुसार पूर्व निर्धारित मूल्य पर भवनों के विक्रय हेतु पंजीकरण खोले जाने पर भवनों का अपेक्षानुसार विक्रय नहीं हो पा रहा है, जबकि भवनों में निरन्तर क्षरण / ह्रास हो रहा है और यदि योजना के भवनों नियमानुसार मूल्य बढ़ाया जाता है तब निश्चित रूप से नियमावली के प्राविधानों के अनुसार भवनों मूल्य में वृद्धि हो जायेगी और **बढ़े हुए मूल्य पर भवनों के विक्रय होना सम्भावित नहीं है।**

उक्त स्थिति में कम मांग को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड बैठक 07-6-2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्ताव संख्या 81(8) में अनुमोदित (2बी0एच0के0 भवन हेतु 48.00लाख तथा ई0डब्लू0एस0 भवन हेतु रू0 7.00लाख) को आगामी मार्च 2026 तक फ्रीज करते हुए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मार्च 2026 तक पंजीकरण खोले जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

बोर्ड का निर्णयः- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बोर्ड द्वारा अवशेष भूखण्डों के विक्रय हेतु एक बार अन्तिम रूप से पंजीकरण खोलने तथा उसके बाद 31 मार्च 2026 तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पत्तियों के निस्तारण कराये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(20) :– प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के आवंटियों से देय धनराशि को जमा करने में हुए विलम्ब के फलस्वरूप विलम्ब अवधि पर देय ब्याज धनराशि को माफ कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के प्रथम चरण में आवंटन प्रक्रिया के अन्तर्गत 528 लाभार्थियों को भवन आवंटित किये गये थे। आवंटन पत्र में भवन का सम्पूर्ण मूल्य 03 माह के अन्दर भुगतान करने का प्राविधान किया गया था तथा नियत अवधि में धनराशि जमा ना करने पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज आरोपित करने तथा ब्याज सहित धनराशि जमा करने की नियत अवधि के उपरांत तीन माह बाद आवंटन निरस्त करने का उल्लेख किया गया था। उक्त प्रकरण में बैकों की ऋण प्रक्रिया की जटिलता एवं लाभर्थियों के आर्थिक दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा ब्याज मुक्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की निम्नांकित बोर्ड बैठकों में अनुमति प्रदान की गई।

(1) प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक की मद सं0(18) में दिनांक 30.09.2023 तक आवंटी को देय किश्त जमा करने में कोई विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की गई।

(2) प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक की मद सं0(19) में दिनांक 31.03.2024 तक आवंटी को देय किश्त जमा करने में कोई विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की गई।

(3) प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की मद सं0(21) में दिनांक 31.12.2024 तक आवंटी को देय किश्त जमा करने में कोई विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की गई।

उक्त स्थिति में उक्त योजना के आवंटी दुर्बल आय वर्ग से संबंधित होने तथा उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आवंटियों को आवंटन पत्र के सापेक्ष बिना विलम्ब शुल्क के देय धनराशि दिनांक 31 अगस्त 2025 तक जमा कराने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त अवशेष विलम्ब शुल्क जमा करने हेतु उक्त आवंटियों को आगामी बोर्ड बैठक तक अनुमति प्रदान करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

<u>मद संख्या 84(21) :–</u> प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षो से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश संख्या 4912/9–आ–1–99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04.11.1999 के अन्तर्गत <u>अलोकप्रिय घोषित किये जाने **के सम्बन्ध में।**</u>

प्राधिकरण की विकसित सम्पत्तियों के आवंटन हेतु इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग भवन), इन्द्रलोक आवसीय योजना भाग–1 व्यवसायिक भूखण्ड तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना (व्यवसायिक भूखण्ड का पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2023–24 से पूर्व कई बार एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के पश्चात योजनाओं में पंजीकरण /निविदा सह नीलामी के अन्तर्गत पहले आओं पहले पाओ /हर माह आवंटन के रूप में किया गया। इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग भवन) 2बी.एच.के. के 54 (विभिन्न श्रेणी में आरक्षित) एवं ई0डब्लू0एस0 में 22 भवन (विभिन्न श्रेणी में आरक्षित), इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (व्यवसायिक भूखण्ड) में श्रेणी सी0–1 के 09 (विभिन्न श्रेणी में आरक्षित) एव सी0–2 में 01 (विभिन्न श्रेणी में आरक्षित) भूखण्ड तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना (व्यवसायिक भूखण्ड) विभिन्न श्रेणी के 86 भूखण्ड (अनुसूचित श्रेणी में आरक्षित) (57वीं. बोर्ड बैठक के मद सं0–22 में केवल अनुसूचित श्रेणी के भूखण्डो को आरक्षित करने हेतु अनुमोदन दिया गया है) आरक्षित है। अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण में प्रमुखतः आरक्षित वर्ग के आवेदक कम होने के कारण रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 4912/9–आ–1–99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04.11.1999 आवास अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश के आधार पर अलोकप्रिय घोषित करने तथा आय वर्ग संख्या आरक्षण की सीमा शिथिल किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–10–2014 के मद सं0–22 एवं 63वीं बोर्ड बैठक के दिनांक 27–07–2017 के मद संख्या–8 में बोर्ड द्वारा अन्य योजनाओं में सभी श्रेणियों के आरक्षण एवं आयवर्ग में शिथिलता प्रदान करने की अनुमति देते हुए विक्रय की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

चूँकि कई बार पंजीकरण खोलने के बावजूद विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के समुचित आवेदको के उपलब्ध नहीं होने के कारण इन आरक्षित श्रेणियों के भूखण्ड आवंटन से रिक्त है । अतः प्राधिकरण हित में इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग भवन), इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (व्यवसायिक भूखण्ड) तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना (व्यवसायिक भूखण्ड) के मूल उददेश्यों को पूरा करने हेतु विभिन्न आरक्षित श्रेणियों हेतु रिक्त भूखण्डों /भवनों को सामान्य अन्य श्रेणी के उपलब्ध आवेदकों के मध्य आवंटित किये जाने एवं उक्त व्यवस्था प्रभावी हो जाने के उपरान्त भी यदि विभिन्न श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उन्हें योजना में भूखण्ड /भवन आवंटन में वरियता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>बोर्ड का निर्णयः–</u> उपरोक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग भवन) में क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किये जाने तथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया । अन्तिम अवसर के उपरान्त भी यदि

Secretary Vice Chirman Chairman /Commissioner

कोई आवेदक आवेदन नहीं करता है तो शासनादेश संख्या 4912/9–आ–1–99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04.11.1999 आवास अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश के आधार पर योजना को समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अलोकप्रिय घोषित किया जाना सुसंगत है। तदोपरान्त उक्त दोनों आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करते हुए योजना को सामान्य श्रेणी के लिए खोला जा सकता है, खोले जाने के उपरान्त ऊर्ध्वाधर आरक्षण व्यवस्था का कोई आवेदक आवेदन करता है तो उसे आवंटन में वरीयता दिये जाने का निर्णय लिया गया। इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग भवन) के अन्तर्गत निर्मित ई0डब्लू0एस0 में 22 ईकाईयों में ऊर्ध्वाधर आरक्षण व्यवस्था यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>मद संख्या 84(22):–</u> <u>प्राधिकरण को व्यवसायिक रूप से जी0एस0टी0 पंजीकरण कराने सम्बन्धी।</u>

प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण स्तर से टैण्डर फार्म, पंजीकरण फार्म इत्यादि का विक्रय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ किया जाता है किन्तु प्राधिकरण का जी0एस0टी0 में व्यवसायिक पंजीकरण न होने के कारण इस मद में प्राप्त धनराशि को जी0एस0टी0 खाते में जमा नहीं कराया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण का जी0एस0टी0 में व्यवसायिक रूप से पंजीकरण कराते हुए इस मद में प्राप्त धनराशि को जी0एस0टी0 खाते में जमा करा दिया जाये। उक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>बोर्ड का निर्णयः–</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(23) :– प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में प्राधिकरण अधिवक्ता को किये जाने वाले भुगतान के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में प्राधिकरण से संबंधित वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की तैनाती पूर्व से की गयी है। कतिपय प्रकरणों में आकस्मिकता के आधार पर उक्त न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता की तैनाती किये जानी आवश्यक हो जाती है, जिसके चयन में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। इस हेतु उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नवत् गठन प्रस्तावित है:–

1. सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण — सदस्य
2. मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण — सदस्य
3. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) — सदस्य
4. प्राधिकरण अधिवक्ता — सदस्य

उक्त समिति अधिवक्ता का चयन करते हुए उनकी फीस आदि का निर्धारण कर इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्राप्त करेगी। अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण शासनादेशदिनांक 18/03/2020 के द्वारा फीस का निर्धारण किया गया है, जिसमें श्रेणी वार अपर महाअधिवक्ता से लेकर वाद धारक तक फीस का निर्धारण किया गया है।उक्त निर्धारण में रिटेनर फीस के साथ–साथ बहस हेत प्रति कार्यदिवस की दर से फीस का निर्धारण। शासनादेश की प्रति संलग्नहै। प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चन्यायालय में तैनात अधिवक्ताओं को रिटेनर फीस तथा बहस हेतु प्रति कार्यदिवस की दर से फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। अपितु उन्हें एक मुश्त भुगतान किया जाता है। तैनात अधिवक्ताओं द्वारा फीस वृद्वि की मांग की जा रही है, जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण की 83वी बोर्ड बैठक के मद संख्या 30 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि एल0आर0 व स्टेट द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों का परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए।

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 18/03/2020 के अनुसार रिटेनर फीस के अतिरिक्त बहस हेतु प्रतिदिवस की दर निर्धारित की गयी है, जिसमें अपर महाअधिवक्ता की फीस रू0 12500.00 प्रति पेशी है तथा रिटेनर फीस प्रतिमाह रू0 21000.00 है। इस प्रकार यदि किसी एक प्रकरण में मा0 न्यायालय में वर्ष में दो तिथियों में पेशी होती है तो ऐसी दशा में कुल देय धनराशि रु0 277000.00 होती है, जो प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जा रही राशि रू0 10800.00 से काफी अधिक है। शासन द्वारा भुगतान की जा रही राशि के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जा रही राशि अत्यंत कम होने के कारण वादों में गुणवत्तापरक पैरवी नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में प्राधिकरण में एम्पैनल अधिवक्ताओं की फीस वृद्वि किया जाना कार्यहित में उचित प्रतीत होता है।

Secretary — Vice Chirman — Chairman /Commissioner

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ताओं की सूची			
कम संख्या	अधिवक्ता का नाम	अनुभव(वर्ष में)	वर्तमान में देय फीस (कलर्क/वाद व्यय सहित)
1.	श्री आशीष कुमार जोशी	33 वर्ष	10800.00
2.	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	27 वर्ष	10800.00
3.	सुश्री पूजाबांगा	24 वर्ष	10800.00
4.	श्री सदीप कोठारी	21 वर्ष	13500.00
5.	श्री ललित मिगलानी	19 वर्ष	10800.00
6.	श्री शुभ्र रस्तोगी	8 वर्ष	10800.00
7.	श्री सांरग धूलिया	8 वर्ष	10800.00
8.	श्री हिमाशुं पाल	7 वर्ष	10800.00
9.	श्रीमती देविका तिवारी	6 वर्ष	10800.00

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

1. विनय कुमार गर्ग AOR

वर्तमान में मा0 उच्चन्यायालय पैनलअधिवक्ताओं की सूची			
कम संख्या	कार्य विवरण	अनुभव(वर्ष में)	वर्तमानमें देय फीस (कलर्क/वाद व्यय सहित)
		मा0 उच्चन्यायालय नई दिल्ली,अधिकरण/ राष्ट्रीय उपभोक्ता, रा0 ग्रीन अधिकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा स्वीकृत दरें	मा0 उच्चतम न्यायालय/राजकीय सरकार के वादो/प्रतिवादों हेतु बोर्ड से अनुमोदित स्वीकृत फीस दरें
1.	ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन/अपील/प्रतिशपथ पत्र हेतु।	75000.00	110000.00
2.	ड्राफ्टिंग ओर रिज्वाइन्डर हेतु।	50000.00	55000.00
3.	प्रति एपीयरेन्स बिफोर कोर्ट मिसलेनियसहियरिंग प्रतिदिन।	33000.00	36300.00
4.	प्रति पीयरेन्सबिफोरकोर्टफाइनलहियरिंग प्रतिदिन।	75000.00	82500.00
5.	प्रति एपीयरेन्स बिफोर रजिस्टार।	11000.00	12100.00
6.	कान्फ्रेन्स शुल्क प्रतिघटां।	11000.00	33000.00
7.	ड्राफ्ट एवं फाईलिंग ऑफ एप्लीकेशन।	25000.00	24200.00
8.	क्लेरिकल चार्जेज 10 प्रतिशत उपरोक्त फीस पर।		55000.0

Secretary   Vice Chirman   Chairman /Commissioner

S.No.	Particulars	Fees
The HON'BLE SUPREME COURT		
1	Appearance in Hearings before the Hon'ble Supreme Court (per appearance per case)	INR 35,000
2	Drafting of a Special Leave Petition / Civil Appeal	INR 1,10,000
2	Drafting of a Counter – Affidavit / Reply	INR 1,00,000
4	Drafting of an Application	INR 24, 000
5	Drafting of Reply to an Application	INR 55,000
6	Expenses	As Per actuals
THE HON'BLE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI & THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL		
7	Appearance in Hearing before the Court (per appearance per case)	INR 30,000
8	Drafting of a Writ Petion / Other Original pleading	INR 75,000
9	Drafting of a Counter-Affidavit /Reply	INR 75,000
10	Drafting of an Application	INR 25,000
11	Drafting of Reply to an Application	INR 25,000
12	Expenses	As Per actuals
MISCELLANEOUS		
13	Written Opinion	INR 45,000

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

2. श्री अविनाश सिंह (अनुभव 07 वर्ष)

Forum	Fees per Apperrance (in Rs-)
Suprme Court of india	15,000
Delhi High court	8,000
District courts/Tribunals in Dehli	6,000
Out of Station Matters	12,000+Expenses (in Actuals)
Out of Station Matters Through Virtual Hearing	5,000

DRAFTING FEE:-

Particular	Fees (in Rs-)
Misc. Drafting	12,000
Substantive Drafting	18,000-00

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हेतु उपरोक्त कम 01–03 तक की अधिवक्ताओं की दरें स्वीकृत है। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पैनल अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक 18.03.2020 के अनुसार अनुभव के आधार पर प्रतिवाद में प्रतिपेशी हेतु निम्नवत् फीस दरें प्रस्तावित की जा रहीं है।

अनुभव वर्ष	प्रति दिवस प्रति केस सुनवाई हेतु प्रस्तावित दर से फीस (रू0 में)	अन्य विवरण
5 वर्ष से कम	2500.00	प्रस्तावित फीस में रिट याचिका, अपील, प्रति शपथ पत्र, अनुपूरक शपथ पत्र व प्रर्कीण प्रार्थना पत्र व वाद व्यय अलग से देने नहीं होगे।
5–10 वर्ष	5000.00	
10–15 वर्ष	7500.00	
15 वर्ष से अधिक	10000.00	
मा0 उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त करने हेतु अधिकृत अधिवक्ता की मासिक फीस		

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(24) :– श्रीमती अंजुल गर्ग पत्नी श्री राजेश चन्द्रा द्वारा 32 सिविल लाईन, अन्दर नगर निगम रूड़की, परगना व तहसील, जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या HRDA/CC/0058/24-24/RE1 <u>हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।</u>

श्रीमती अंजुल गर्ग पत्नी श्री राजेश चन्द्रा द्वारा 31 सिविल लाईन, अन्दर नगर निगम रूड़की परगना व तहसील रूड़की में भूखण्ड क्षेत्रफल 92.843 वर्ग मीटर पर व्यवसायिक + आवासीय भवन के मानचित्र सं0– HRDA/CC/0057/24-24/RE1 को शमन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है तथा श्री राजेश चन्द्रा पुत्र श्री चन्द्रशेखर द्वारा 31 सिविल लाईन, अन्दर नगर निगम रूड़की में भूखण्ड क्षेत्रफल स्थलानुसार 173.119 वर्ग मीटर में व्यवसायिक + आवासीय भवन के मानचित्र संख्या HRDA/CC/0058/24-24/RE1 को शमन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। श्रीमती अंजुल गर्ग व श्री राजेश चन्द्रा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भवन की ऊँचाई में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त आवेदनों के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या–07 /2023 मुकेश गोयल बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई करते हुए दिनांक 26–12–20024 को आदेश पारित करते हुए बिन्दु सं0–7 में "We, accordingly, dispose of this wirt petion with a direction to Competent Authority in Haridwar Roorkee Development Aouthority to take decision on the compounding application /map, strictly as per law, within a period of three months'from the date of production of cetificed copy of this order, This order shall not be construed as a positive direction to compound the non-compoundable portions of the building in question"

प्रस्तुत शमन मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण किया गया है। प्रस्तुत शमन मानचित्रों में भवन की ऊँचाई 14.40 मीटर दर्शायी गयी है तथा भूखण्ड के सम्मुख 12.00 मीटर की सड़क स्थित है। प्रश्नगत स्थल सघन आबादी के अन्तर्गत आता है। भवन

Secretary　　　　Vice Chirman　　　　Chairman /Commissioner

उपविधि के अनुसार निर्मित क्षेत्र में 12.00 विद्यमान मार्ग पर भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.00 मीटर ही अनुमन्य है, जबकि प्रश्नगत स्थल पर भवन की ऊँचाई 14.40 मीटर है जो कि अनुमन्य से अधिक है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश सं0–1311 दिनांक 26–07–2021 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2016 के मानकों में शिथिलीकरण की अधिकारिता 25 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित होगा, 25–50 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार उडा बोर्ड में निहित होगा तथा 50 प्रतिशत से अधिक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार शासन में निहित होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अनुमन्य ऊँचाई 12.00 मीटर है तथा स्थल पर 14.40 मीटर है अर्थात अनुमन्य से भवन की ऊँचाई 20 प्रतिशत अधिक है।

क्र.	मानचित्र संख्या	भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य ऊँचाई	स्थलानुसार भवन की ऊँचाई	शासनादेश सं0–1311 दिनांक 26–07–2021 के अनुसार भवन ऊँचाई में शिथिलता
1.	HRDA/CC/0058/24-24/RE1	12.00 मीटर	14.40 मीटर	20 प्रतिशत शिथिलता
2.	HRDA/CC/0058/24-24/RE1	12.00 मीटर	14.40 मीटर	20 प्रतिशत शिथिलता

अतः उपरोक्त प्रकरणों में शासनादेश के अनुसार 25 प्रतिशत तक की शिथिलता के अन्तर्गत आता है। प्रकरणों पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन से मन्तव्य प्राप्त किये जाने के उपरान्त भवन की ऊँचाई में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>बोर्ड का निर्णयः–</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बैठक में सी0टी0सी0पी0 से मन्तव्य प्राप्त करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary

Vice Chirman

Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(25) :– नगर निगम हरिद्वार को आवारा पशुओं के बचाव एवं पुनर्वास हेतु सहायक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा पशुओं की बढ़ती आबादी एवं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने पर बचाव एवं राहत कार्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा ग्राम सराय में स्थित ए0बी0सी0सेन्टर हेतु सहायता तथा आवारा पशुओं के रेस्क्यू हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। जनहित में उक्त कार्य हेतु नगर निगम हरिद्वार को रू0 50.00 लाख एक रेस्क्यू वाहन प्राधिकरण फण्ड से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार रू0 50.00 लाख की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से तथा एक रेस्कूय वाहन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 84(26) :– आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से प्राधिकरण में कार्यरत मानचित्रकार के **वतेन वृद्धि के सम्बन्ध में ।**

प्राधिकरण में वर्तमान में मानचित्रकार के 03 पद सृजित है, जिसके सापेक्ष 01 पद नियमित मानचित्रकार तथा 01 आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत है। नियमित मानचित्रकार माह जनवरी, 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण महायोजना सम्बन्धी कार्य प्रभावति होना सम्भावित है। अतः कार्य के दृष्टिगत आउटसोर्स ऐजन्सी के माध्यम से कार्यरत मानचित्रकार का मासिक पारिश्रमिक रू0 25,000/– किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार मानचित्रकार का मासिक पारिश्रमिक रू0 25,000.00 अनुमोदित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner